प्र०सं० 16/2020 प्र/NHAI

24.9.25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। गोपनीय अधिकारी महा० राजकीय छुट्टी पर हैं। पत्रावली आइंदा कार्यवाही हेतु 26.11.25 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

26.11.25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 08.08.2023 पर उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गयी। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में अवगत कराया गया कि प्रार्थी/परिवादी ने प्रार्थनापत्र में अवार्ड नम्बर का उल्लेख नहीं किया एवं न ही अवाप्त की गई भूमि के खसरा नम्बर बताये गये। ऐसी स्थिति में बिना खसरा नम्बर के व बिना अवार्ड नम्बर के परिवादी के प्रार्थनापत्र पर जवाब दिया जाना संभव नहीं है। जिसका प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई खण्डन पत्रावली पर आज दिनांक तक नहीं किया गया, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2023 की प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से जाहिर आया कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का दस्तोवजात पेश नहीं किया गया। लिहाजा विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2023 को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व संशोधित अधिनियम (REFCTLARR Act 2013) की धारा 24 के तहत मुआवजा का निर्धारण कर भुगतान दिलाया जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2020 को खारीज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम करे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा